अन्तर्गत राजवीर सहारण बनाम रामनारायण
वाद मुकदमा न.57/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आरएएस

वाद पत्र संख्या 57/2024

अन्तर्गत धारा 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजवीर सहारण पुत्र श्री रामनारायण, जाति जाट, आयु 25 वर्ष, निवासी वार्ड न० 4 चक मनफूल सिंह वाला, 16 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र स्व० श्री लाधूराम, जाति जाट निवासी वार्ड न० 4 चक मनफूलसिंह वाला, 16 एलएनपी, तह० व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग — वादी
अधिवक्ता श्री हरिश सोनी — प्रतिवादी 1
पेशकार राज — (प्रति.2)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 127 पुराना 72 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 16 में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.101 हैक्टेयर कुल 0.126 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 24 कुल 5.9720 हैक्टेयर नहरी कुल दोनो मुरब्बाजात 6.0980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा चक 17 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 44 पुराना 41 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1/2 में 0.126 हैक्टेयर बाग, किला नम्बर 2 सालम, किला नम्बर 3 सालम, किला नम्बर 4/1 में 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 5, 6, 8 ता 13 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 14/1 में 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 ता 20 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.228 हैक्टेयर कुल 5.6930 हैक्टेयर नहरी मय बाग कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबन्दी चक 20 एलएनपी व चक 17 एलएनपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है और उपरोक्त समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता स्व० श्री लाधूराम से प्राप्त हुई है तथा समस्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद कृषि भूमि है। उपरोक्त समस्त कृषि भूमि में वादी का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काफी समय पूर्व उपरोक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि का काश्त की सहुलियत व अच्छी आबपाशी के लिए घरू मौखिक बंटवारा कर लिया गया था एवं उसी अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्सा पर काबिज व काश्त है। घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी को उपरोक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि स्थित चक 20 एलएनपी व चक 17 एलएनपी में से निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

(क) चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 127 पुराना 72 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 16 में 0.025

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर, किला नम्बर 25 मे 0.101 हैक्टेयर कुल 0.126 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 24 कुल 5.9720 हैक्टेयर नहरी कुल दोनो मुरब्बाजात 6.0980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि ।

यह कि घरू मौखिक बंटवारा के बाद से ही वादी द्वारा अपने हिस्से की उपरोक्त पैरा संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि पर काफी पैसा खर्च कर सार सम्भाल किया है और उसे उपजाऊ बनाने में भी काफी खर्च किया है। चूंकि घरू मौखिक बंटवारा से वादी के हिस्सा में आई कृषि भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण काश्त करने, लगान आबियाना वगैरा अदा करने एवं अन्य सरकारी सुविधायें जैसे सिंचाई डिग्गी एवं सोलर वगैरा लेने में काफी परेशानियाँ आती है। वादी द्वारा अनेको बार प्रतिवादी स० 1 से कहा गया कि घरू मौखिक बंटवारा अनुसार व हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए आप सक्षम अधिकारी के यहां सहमति से ब्यान कर दो ताकि वादी के नाम पैरा संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि को घरू मौखिक बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जा सके एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें। पहले तो प्रतिवादी स० 1 आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 5 रोज पूर्व घरू मौखिक बंटवारा अनुसार व हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही विनाय दावा है। जो वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। वादी घरू मौखिक बंटवारा अनुसार हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार कृषि भूमि में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना बिना वाद लाये सम्भव नहीं रहा है, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि वादी घरू मौखिक बंटवारा अनुसार अपने हको की घोषणा करवाकर अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सके व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा सके। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि भूमि धारी है, इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के कारण बतौर प्रतिवादी संख्या 2 पक्षकार बनाया गया है। इसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद वादी के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

क)–कि घोषित किया जावे कि घरू मौखिक बंटवारा अनुसार व हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादी चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 127 पुराना 72 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 16 मे 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 मे 0.101 हैक्टेयर कुल 0.126 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 24 कुल 5.9720 हैक्टेयर नहरी कुल दोनो मुरब्बाजात 6.0980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है व लगान व आबियाना बाग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम कृषि भूमि का इन्द्राज किया जावे।

ख) स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहे।

ग अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व वादी के हित में हो प्रदान की जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तामिल किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह कि द्वितिय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 127 पुराना 72 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 16 मे 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.101 हेक्टेयर कुल 0.126 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 24 के

तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 1 ता 24 कुल 5.9720 हैक्टेयर नहरी कुल दोनों मुरब्बाजात 6.0980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि स्थित चक 17 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 44 पुराना 41 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1/2 में 0.126 हैक्टेयर बाग, किला नम्बर 2 साबत, किला नम्बर 3 साबत, किला नम्बर 4/1 में 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 5, 6, 8 ता 13 प्रत्येक साबत, किला नम्बर 14/1 में 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 ता 20 प्रत्येक साबत, किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.228 हैक्टेयर कुल 5.6930 हैक्टेयर नहरी मय बाग कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि द्वितिय पक्ष व प्रथम पक्ष पिता पुत्र है। उपरोक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण वादी/प्रथम पक्ष का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1/द्वितिय पक्ष के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि को लेकर भागफलात्मक विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान न्यायालय में प्रथम पक्ष के द्वारा पेश किया गया था जो विचाराधीन है पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है और पिता पुत्र है, इसलिए रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों ने मिल बैठ कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा करवा दिया है। राजीनामा के अनुसार उपरोक्त वर्णित द्वितिय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि में से वादी के हिस्सा में चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 127 पुराना 72 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 16 में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0. 101 हैक्टेयर कुल 0.126 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 24 कुल 5.9720 हैक्टेयर नहरी कुल दोनों मुरब्बाजात 6.0980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है व शेष भूमि द्वितिय पक्ष को प्राप्त हुई एवं वर्तमान में पक्षकारान उसी अनुरूप काबिज काश्त है। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है तथा अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर पक्षकारान काबिज हो गये और काश्त कर रहे है। उपरोक्त हिस्सा अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किया जावें ।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत-2070-2073 ग्राम 20 एलएनपी, पटवार क्षत्र 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षत्र गणेशगढ खाता संख्या 127/72, जमाबंदी सम्वत्-2070-2073 ग्राम 20 एलएनपी, पटवार क्षत्र 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षत्र गणेशगढ खाता संख्या 44/41 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा भूमि के विरासतन साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी ग्राम 20 एलएनपी, पटवार क्षत्र 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षत्र नेतेवाला खाता संख्या 85/66 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त जमाबन्दियों के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी पैतृक होना साबित होती है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 ,एससीढ पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौता या अदालत के आदेशानुसार बटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाय तो एसी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 127 पुराना 72 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 16 मे 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 में 0.101 हैक्टेयर कुल 0.126 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 24 कुल 5.9720 हैक्टेयर नहरी दोनो मुरब्बाजात की कुल 6.0980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी राजवीर सहारण को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24.02.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner